



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,**  
**हरिद्वार-249404**  
**Website:** psc.uk.gov.in



(01334) 244143  
(01334) 244282  
07060002410

विज्ञापन संख्या :: A-1/E-5/DR/RSI/2022-23

**राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा-2022**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	14, अक्टूबर, 2022
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	-	04 नवम्बर, 2022 (शत्रि 11.59.59 बजे तक)

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) चयन परीक्षा-2022 के अन्तर्गत कुल 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (**Online Application**) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 04 नवम्बर, 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

**अति महत्वपूर्ण निर्देश :-**

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 04 नवम्बर, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:-पदनाम, अहंता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, परीक्षा केन्द्र एवं आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03</u> तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> का अवलोकन करें।
7.	आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अहंता, अधिमानी अहंता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
8.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
9.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
10.	लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट <a href="http://psc.uk.gov.in">psc.uk.gov.in</a> तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
11.	लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा— शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता

	परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा, जिसकी सूचना यथासमय विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी।
13.	अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
14.	प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है।

**02. रिक्तियों का विवरण:**—राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा—2022 के अन्तर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 563 (पटवारी 391, लेखपाल 172) है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। रिक्तियों का जनपदवार विवरण एवं ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है:—

(i) राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) कुल पद 391

### 01. जिला अल्मोड़ा

कुल रिक्तियों की संख्या—50

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
06	01	06	06	31	50

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 12

## 02.जिला बागेश्वर

कुल रिक्तयों की संख्या—18

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
—	01	03	06	08	18

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 05

## 03.जिला चमोली

कुल रिक्तयों की संख्या—26

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
03	01	03	02	17	26

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 05

#### 04.जिला चम्पावत

कुल रिक्तयों की संख्या—26

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
05	01	03	02	15	26

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 08

#### 05.जिला देहरादून

कुल रिक्तयों की संख्या—09

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
01	00	02	01	05	09

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 03

## 06.जिला नैनीताल

कुल रिक्तयों की संख्या—27

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
09	00	01	06	11	27

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 12

## 07.जिला पौड़ी गढ़वाल

कुल रिक्तयों की संख्या—79

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु०जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
12	01	00	19	47	79

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 01
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 04
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 05
महिला	— 30

## 08.जिला पिथौरागढ़

कुल रिक्तयों की संख्या—38

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
09	00	01	04	24	38

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 10

## 09.जिला रुद्रप्रयाग

कुल रिक्तयों की संख्या—13

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
02	00	00	05	06	13

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 02

### 10.टिहरी गढ़वाल

कुल रिक्तयों की संख्या—45

उर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
11	00	01	11	22	45

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 12

### 11.जिला उत्तरकाशी

कुल रिक्तयों की संख्या—60

उर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
11	02	08	06	33	60

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 01
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 03
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 18

नोट:- शासनादेश संख्या—163/XVII-A3/2021-01(11)/विंक०/2017, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है।

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा—2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण निम्नवत् हैः—

01.	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)	
	कुल पदों की संख्या	— 391 पद
	पद का स्वरूप	— समूह 'ग' अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	— ₹ 29,200—92,300 (लेवल—05)
	शैक्षिक अर्हता	— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।
	अधिमानी अर्हता	— (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
	शारीरिक दक्षता	— पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है।
	शारीरिक मानक	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए।
	आयु सीमा	21 वर्ष से 28 वर्ष तक

(ii) राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) कुल पद 172

### 01.जिला चम्पावत

कुल रिक्तयों की संख्या—01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 00
महिला	— 00

### 02.जिला देहरादून

कुल रिक्तयों की संख्या—38

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
04	00	08	03	23	38

उक्त रिक्तयों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 01
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 16

### 03.जिला हरिद्वार

कुल रिक्तयों की संख्या—51

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
07	05	00	04	35	51

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 01
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 04
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 02
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 24

### 04.जिला नैनीताल

कुल रिक्तियों की संख्या—26

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
03	00	05	06	12	26

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 01
महिला	— 12

## 05.जिला उधमसिंहनगर

**कुल रिक्तियों की संख्या—56**

**ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां**

अनुसूचित जाति	अनुजनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	2	3	4	5	6
10	02	08	06	30	56

**उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—**

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 01
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 03
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ	— 02
महिला	— 17

**राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा—2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण निम्नवत् है—**

02. राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल)			
कुल पदों की संख्या	—	172 पद	
पद का स्वरूप	—	समूह 'ग' अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त	
वेतनमान	—	रु0 29,200—92,300 (लेवल—05)	
शैक्षिक अर्हता	—	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।	
अधिमानी अर्हता	—	(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
शारीरिक दक्षता	—	पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है।	
आयु सीमा		21 वर्ष से 35 वर्ष तक	

### 03. आयु :-

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है एवं राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित है।

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2020 है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2022 है।

### 04. अधिकतम आयु सीमा में छूट:-

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक—2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूत पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक—16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

## **05. आरक्षण :—**

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-3” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वाचित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या—133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या—124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के “*O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.*” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी०एफ०एफ०) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या— 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

## 06. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता—

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत हैः— शासन की अधिसूचना संख्या—164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।" उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन—पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

**(iii)** शासन के पत्रांक—809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।”

#### **07. राष्ट्रीयता :—**

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंकाया किसी पूर्व अफीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफतांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण :—** जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

#### **08. चरित्र :—**

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

**टिप्पणी—** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

#### **09. वैवाहिक प्राप्तिः—**

सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

#### **10. शारीरिक स्वस्थता—**

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

## 11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](https://psc.uk.gov.in) या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar**में **How to Apply**लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply page** पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now**बटन पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now**पर क्लिक करने के पश्चात **Basic Information** फार्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password**बनाकर **Continue**पर क्लिक करें। **Continue**पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Confirm Filled Information** फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick**कर **Submit**पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick**कर **Edit Data**पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- (4) **Submit**पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No.**एवं **Email**पर **Message**प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualification के अंतर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर **Graduation/Post Graduation Details** में Qualification Type में पुनः **Graduation/Post Graduation** का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर

**Submit** बटन पर क्लिक करें। उसके पश्चात दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। अपलोड करने के पश्चात **Photo** एवं **Signature** को Cropping Tool की सहायता से **I Want to crop images Photo and Signature** के विकल्प का चयन सही किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी **Images uploaded are correct** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद **Click here for Final Submission** पर क्लिक करें। **Click here for Final Submission** के पश्चात ही आवेदन पत्र में Application Status वाली फील्ड में **Completed** प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन—पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) **Final Submission** के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए **Login** कर **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपीओ प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट: (1) **Final Submission** किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई—मेल आईडीओ एवं मोबाइल नंबर को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई—मेल कर सकते हैं।

(2) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल 01 जिला का विकल्प ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी पद हेतु जिस भी जिले का चयन करेगा, लिखित परीक्षा में भी उसी जिले में प्रतिभाग करेगा। जिले के चयनोपरान्त यदि जिले में एक से अधिक पद हैं, तो अभ्यर्थी से आवेदन पत्र में वरीयता भी ली जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिला के विकल्प चयन हेतु सावधानी आवश्यक है।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

**12. शुल्क** :—शासनादेश संख्या 65880 / 2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022, एवं शासनादेश संख्या 70793 / 2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा० आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

**13. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) मुख्य लिखित परीक्षा के पश्चात् कार्यालय ज्ञाप संख्या 175 / 10 / अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया / अधि० / 2021–22, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों का ही शारीरिक मानक परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन—पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा के पश्चात् आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny)/अभिलेख सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा के पश्चात् तत्समय आवेदन—पत्र/ प्रमाण—पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की

सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई—मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण—पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न—पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी

आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(18) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(19) हाई स्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(22) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०ए०आर० उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध

में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपाराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

**(23)** आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

**(24)** यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

**(25)** आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

**(26)** अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय—समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(27) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(28) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(29) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।

## परिशिष्ट-1

**परीक्षा योजना:**— चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसका अंकवार विवरण निम्नवत् है:—

क्र0सं0	विषय व अंक	कुल अंक
1.	सामान्य हिन्दी – 20 अंक	
2.	सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन – 40 अंक 2.1— सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता 2.2— इतिहास 2.3— भूगोल 2.4— राजनीतिक विज्ञान 2.5— अर्थशास्त्र 2.6— राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनायें। 2.7— कम्प्यूटर की मूलभत जानकारी (Computer Fundamentals)	100 अंक
3.	उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विविध जानकारियाँ— 40 अंक	

**परिशिष्ट-02**

**परीक्षा का पाठ्यक्रम**

### परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .

..... तहसील ..... नगर ..... जिला

..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....  
..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .....

निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....

..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान  
(अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) संविधान  
(अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के  
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा

अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ...

.....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

मुहर :

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/  
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण  
अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र  
शासनादेश संख्या— 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम

.....तहसील ..... नगर .....

.... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और

श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....

पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम, 1993

के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

शासनादेश संख्या— 256 / 18—प्रा०शि०—२—८८—२० / 82, दिनांक 16.07.  
1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ..... ग्राम .....

तहसील/तालुका ..... जिला— ..... राज्य .....  
के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर  
प्रमाण—पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी  
का नाम  
पदनाम  
पदनाम की मुहर

नोट :: कृपया जो लागू हो उस पर सही  का निशान लगायें।

## निःशक्तता प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या — .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण — पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार  
का हाल का फोटो  
जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0 .....  
 सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री .....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....  
 .....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिक्षीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित	(क) दुर्बल पहुँच
	(ख) कमज़ोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित	(दायां या बायां)
	(क) दुर्बल पहुँच
	(ख) कमज़ोर पकड़
	(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमज़ोर पकड़
(ग) गति विघ्रम (अटैकिसस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमज़ोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमज़ोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
- (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी-बधिर
- (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*
3. उनके मामले में निश्चितता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (ii) पी पी-धक्केलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हॉं/नहीं

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवरिथित सक्षम स्वारथ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-4(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

7. जिन परीक्षाओं में कलकुलेटर की सुविधा अनुमत्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (tailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमत्य होंगे (उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs .....  
(name of the candidate with disability), a person with  
.....(nature and percentage of disability as mentioned  
in the certificate of disability), S/o/D/o ....., a resident  
of .....(Village/District/State) and to state that he/she  
has physical limitation which hampers his/her writing capabilities  
owing to his/her disability.

**Signature**

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a  
Government Health care institution

**Name & Designation**

**Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal :**

**Place:**

**Date:**

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

**Letter of Undertaking for using own Scribe**

I ..... a candidate with .....(name of the disability) appearing for the .....(name of the examination) bearing Roll No. ..... at .....(name of the centre) in the District ..... (name of the State). My qualification is .....

I do hereby state that .....(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ..... In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

**(Signature of the candidate with disability)**

**Place:**

**Date:**

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री..... ग्राम/मुहल्ला.....  
पोस्ट ऑफिस..... जिला..... पिन कोड.....  
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।  
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से  
कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका  
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो कि..... जाति से हैं  
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा  
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हरताक्षर सहित कार्यालय की मुहर  
नाम.....  
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट साइज का  
प्रमाणित फोटो

## परिशिष्ट-04

**राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा-2022 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :-**

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मात्रा आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र0 सं0	आरक्षण की श्रेणी	सम्पूर्ण प्रवीणता-सूची तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	<b>45%</b>
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	<b>40%</b>
3.	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	<b>35%</b>
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	<b>40%</b>

**नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।**